रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012020-215198
CG-DL-E-07012020-215198

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941
No. 12] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/ PAUSHA 16, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 14 (अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92घ की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 286 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 घक में, 1 अप्रैल, 2020 से,-

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"कतिपय व्यक्ति द्वारा धारा 92घ के अधीन सूचना और दस्तावेज का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण ।"

(ख) उप नियम (2), (3), (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएगें, अर्थात्:-

"(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज, नियम 10घख के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त आयुक्त को, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को या उससे पहले प्ररूप सं. 3गङकक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) घटक इकाई, प्ररूप सं. 3गङकक का भाग क प्रस्तुत करेगी यद्यपि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं होती हो।

(4) जहां भारत में अंतर्राष्ट्रीय समूह की एक से अधिक धटक इकाईयां स्थित हैं, वहां प्ररूप सं. 3गङकक किसी भी एक इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, यदि,-

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इस प्रयोजन के लिए ऐसी इकाई को नामनिर्दिष्ट किया हैं; और

(ख) सूचना, नियम 10घख के उपनियम (1) में निर्दिष्ट संयुक्त आयुक्त को, इस संबंध में प्ररूप सं. 3गङकक प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीस दिवस के भीतर, प्ररूप 3गङकख में संप्रेषित की गई है।";

(ग) उपनियम (6), (7) और (8) को उपनियम (5), (6) और (7) के रूप में पुन:संख्याकित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 10घख में,-

(क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) धारा 286 के प्रयोजनों के लिए आय-कर प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त होगा जैसा कि आय-कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से दो मास पूर्व प्ररूप सं. 3गङकग में प्रस्तुत की जाएगी।";

(ख) उपनियम (3) में "आय-कर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) नामनिर्दिष्ट घटक इकाई के संबंध में धारा 286 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन संप्रेषण के लिए अपेक्षित सूचना प्ररूप सं. 3गङकङ में प्रस्तुत की जाएगी।"।

[अधिसूचना सं. 03/2020/फा. सं. 370142/19/2019-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति विधान प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 9(अ) तारीख 03 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (4) of section 92D and sub-section (8) of section 286 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Income-tax (2nd Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10 DA, with effect from the 1st day of April, 2020, —

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: -

"Maintenance and furnishing of information and document by certain person under section 92D";

(b) for sub-rules (2), (3), (4) and (5), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

"(2) The information and document specified under sub-rule (1) shall be furnished to the Joint Commissioner referred to in sub-rule (1) of rule 10DB, in Form No. 3CEAA on or before the due date for furnishing the return of income as specified under sub-section (1) of section 139.

(3) The constituent entity shall furnish Part A of Form No. 3CEAA even if the conditions specified under sub-rule (1) are not satisfied.

(4) Where there are more than one constituent entities resident in India of an international group, the Form No. 3CEAA may be furnished by any one constituent entity, if, —

(a) the international group has designated such entity for this purpose; and

(b) the information has been conveyed in Form No. 3CEAB to the Joint Commissioner referred to in sub-rule (1) of rule 10DB, in this behalf thirty days before the due date of furnishing the Form No. 3CEAA.";

(c) sub-rules (6), (7) and (8) shall be re-numbered as sub-rules (5), (6) and (7) respectively.

3. In the said rules, in rule 10DB, —

(a) for sub-rules (1) and (2), the following shall be substituted, namely: -

"(1) The income-tax authority for the purposes of section 286 shall be the Joint Commissioner as may be designated by the Director General of Income-tax (Risk Assessment).

(2) The notification under sub-section (1) of section 286 shall be made in Form No. 3CEAC two months prior to the due date for furnishing of report as specified under sub-section (2) of said section.";

(b) in sub-rule (3), the words and brackets "to the Director General of Income-tax (Risk Assessment)" shall be omitted;

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(5) The information required to be conveyed under proviso to sub-section (4) of section 286 regarding the designated constituent entity shall be furnished in Form No. 3CEAE.".

[Notification No. 03/2020/F. No. 370142/19/2019-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 9(E) dated the 3rd January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.07 21:50:26 +05'30'